



# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या ७१६ ( III ) / 2013 - 14

## आदेश फलक



दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
10/6/13	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सुनिता देवी                      पिता/पति श्री. रामेश प्रसाद साहू साकिम                      थाना धनबाद जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है।                      आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा प.त.र.कुल्लु                      मौजा नं० 46 खाता नं० 126 प्लॉट नं० 423                      रकबा 3.551 भागि 4.95 की                      दलील सं० 4141 दिनांक 27-05-13                      द्वारा श्री/श्रीमती हिलीप कुमार गुप्ता                      से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 10/6/13 को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूमि रैयती खाते की है। रजिस्ट्रार की रैयती के चान्द है।</li> <li>जमाबंदी सं० 377 में विक्रेता के/विक्रेता के ..... के नाम लगान से रसीद कट रहा है।</li> <li>आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।</li> <li>निबंधन धनबाद/ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की राशि को कोषागार में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है।</li> <li>प्रश्नगत भूमि गैर आबाद, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है।</li> </ol> <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को ..... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>

आवेदक पर जांच हेतु पत्राचार

अभिलेखित

आवेदक पर जांच हेतु पत्राचार

10/6/13

मेरे द्वारा फोटो कौपी किया गया  
प्रतिलिपिक/टंकक


मिलान किया  
वुलना लिपिक

अभिप्रेत सभी प्रतिलिपि  
प्रधान सहायक  
जिला अभिलेखागार  
नियम 76 एक्ट 1/1872 द्वारा निर्गत

# सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रियल्टो) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

जिला धनबाद अनुमण्डल धनबाद सर्किल/अंचल धनबाद हल्का III इस्टेट का नाम धारा 170D

क्र. सं.	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण केस संख्या	गाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण और सबबद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होता है विक्री, दान विनियम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1518 III/2013-14	मर्राकुली	धनसार 46	राम - 126 राम - 423 राम - 3 कछा आदि 4.95 हे.मी. राम - 3.00 हे.मी अवशेष	अंचल अधिकारी धनबाद	विक्री हल्का सं० - 4141 दिनांक - 27-05-13	जमान्दी सं० - 377 पुराना रैबर - श्रीमति कुमिका देवी पति - रामोदह प्रसाद खान धारा - आंगरुधर जीन्सिरी		



जापांक संख्या० 308 ता० 2000

कर्मचारी हल्का सं० III को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

सर्किल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी धनबाद  
सर्किल/अंचल धनबाद

मेरे द्वारा फोटो कौण  
किया गया

प्रतिनिधिक/टंकक

मिलान किया

दुलना लिपिक

अभिधायित सच्ची प्रतिनिधि

प्रधान सहायक  
जिला अभिलेखागार

नियम 76 एक 1/1972 द्वारा प्राधिकृत